दिनांक 20.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 277 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा की गयी शिष्टाचार भेंट

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से आज दिनांकः 20.05.2026 को पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में **श्री दीपक कुमार केडिया,** पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी।

भेंट के दौरान आंतरिक सुरक्षा, समन्वित पुलिसिंग, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य पुलिस एवं सुरक्षा बलों के मध्य बेहतर समन्वय तथा आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों के प्रभावी निराकरण हेतु विचारों का आदानप्रदान किया गया।-

इस अवसर पर **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** एवं **पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड** द्वारा परस्पर **स्मृति चिन्ह भेंट** कर सौहार्दपूर्ण मुलाकात एवं आपसी सहयोग की भावना को अभिव्यक्त किया गया।

NSG
DEEPAK KR KEDIA

दिनांक 20.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 278/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सुलतानपुर/थाना जयसिंहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 19/20.05.2026 को थाना जयसिंहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अम्बेडकरनगर से सेमरी रोड पर हालापुर के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त विनोद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जो थाना जयसिंहपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जयसिंहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विनोद निवासी ग्राम ख्वाजापुर थाना खुटहन जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद इटावा/थाना वैदपुरा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 19/20.05.2026 को थाना वैदपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला बरी तिराहा के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गई तो

बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुभाष घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना वैदपुरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना वैदपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुभाष निवासी ग्राम नगला इमलिया थाना पिलुआ जनपद एटा, हालपता न्यू संजयनगर थाना कोतवाली एटा जनपद एटा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद भदोही/थाना कोईरौना

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 करोड़ 02 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 06 कुन्तल 04 किलो 20 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 19.05.2026 को थाना कोईरौना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रैयापुर भावापुरनहर पुलिया के पास से 04 अभियुक्तों 1–त्रिशूल 2–बाबूराम 3–सुरेन 4–मोन्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 करोड़ 02 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 06 कुन्तल 04 किलो 20 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोईरौना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–त्रिशूल निवासी टिकरी थाना माण्डा जनपद प्रयागराज।

2–बाबूराम निवासी मुतकल्ली थाना पवई जनपद आजमगढ़।

3–सुरेन निवासी कादो पाडा थाना रियामल जनपद देवगढ़ उड़ीसा।

4–मोन्टू निवासी कादो पाडा थाना रियामल जनपद देवगढ़ उड़ीसा।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 03 करोड़ 02 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 06 कुन्तल 04 किलो 20 ग्राम अवैध गांजा।

- **<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना जैतपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 56–56 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना जैतपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201/120बी भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–चन्तई उर्फ चन्टई 2–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 56–56 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना मोतीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना मोतीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त मो0नईम को सश्रम आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना बिंवार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना बिंवार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि, 6 पॉक्सो एक्ट

एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नरेन्द्र को आजीवन कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना मुंडेरवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना मुंडेरवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रघुवर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना पैकोलिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना पैकोलिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रविशंकर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————